राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

फोन नं: 0141–2705498, 5110377 फैक्स नः 0141–2701822

क्रमांकः राप्राशिप/जय/संस्था/पद सृजन/2011–12/7834 दिनांकः 13-9-11

जिला शिक्षा अधिकारी
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषयः– शिक्षा के अधिकार कानून के तहत नवीन पद सृजन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 की वार्षिक कार्ययोजना में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत राज्य के सभी जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में एक सहायक परियोजना समन्वयक का पद सृजित किया गया है जो कि वित्त विभाग की आईडी संख्या 101102360 दिनांक 22.07.11 के द्वारा सहमति एवं स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग के पत्रांक प.21(1)शिक्षा–1/प्राशि/2010 दिनांक 02.08.11 के तहत सृजित पद कार्यक्रम अवधि तक के लिए किया गया है एवं इनका वेतन कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान से देय होगा। नव सृजित सहायक परियोजना समन्वयक शिक्षा के अधिकार के तहत जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा एवं जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान के कार्यालय एवं निर्देशन में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निम्न लिखित कार्यों के संदर्भ में जिले से तदनुरूप समस्त सूचनाओं का संकलन, संधारण एवं प्रगति समीक्षा तथा उपलब्धि अर्जन हेतु समन्वयक का कार्य सम्पन्न करेंगे ।

1. आयु अनुरूप बालकों के प्रवेश की मॉनीटरिंग।
2. आयु अनुरूप प्रविष्ट बालकों का विशिष्ठ प्रशिक्षण की मॉनीटरिंग।
3. बालक के आस–पड़ौस में विद्यालय की स्थापना से संबंधित कार्य।
4. निजी संस्थाओं में 25% कमजोर वर्ग/असुविधाग्रस्त बालकों के प्रवेश संबंधी कार्य।
5. निजी विद्यालयों को शुल्क का पुनर्भरण संबंधित कार्य।
6. निजी विद्यालयों को मान्यता देना/मान्यता वापिस लेने संबंधी कार्य।
7. आरटीई संबंधी शिकायतें/आपत्तियाँ/सुझावों का निस्तारणः (Grievance Redressel)
8. आरटीई एक्ट संबंधी अन्य कार्य जो जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा निर्देशित किये जावें।

सूचनार्थ प्रेषित है।

आयुक्त

क्रमांकः राप्राशिप/जय/संस्था/पद सृजन/2011–12/7835 दिनांकः 13-9-11

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
4. शासन उपसचिव शिक्षा (ग्रुप–2), शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त जिले।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त